न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती हरफूल सिंह यादव, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 142/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/142

अपीलाण्ट :–

1. मंगलाराम पुत्र नगाराम
2. वागाराम पुत्र नगाराम जातियान खाती (जांगीड़ ब्रहामण) निवासीगण ऐलाना, तहसील व जिला जालोर

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :–

1. मृतक तीजो देवी पुत्री गिरधारी के का.मु
   1/1 मृतक दिपाराम
   1/1/1 मंजु पत्नी स्व. दीपाराम,
   1/1/2 अनिल पुत्र स्व. दीपाराम जरिये कुदरती वलीया माता मंजु
   1/1/3 सुनीता पुत्री स्व. दीपाराम, जरिये कुदरती वलीया माता मंजु,
   1/2 भोमाराम पुत्र सकाराम
   1/3 कानाराम पुत्र सकाराम जातिगण खाती जागिड़ ब्राहमण,निवासीगण ऐलाना हाल मुडी तहसील व जिला जालोर राजस्थान
   1/4 जमना देवी पुत्री सकाराम जाति खाती जांगिड ब्राहम्ण, निवासी नरसाणा, तहसील आहोर, जिला जालोर राजस्थान
   1/5 प्रकाश पुत्र सकाराम
2. मोरोदेवी पुत्री गिरधारी, पत्नी आदाराम जाति खाती (जांगीड़ ब्रहामण) निवासी ऐलाना, हाल मुडी, तहसील व जिला जालोर राजस्थान
3. चंडकी पुत्री गिरधारी, पत्नी गजाराम जी, जाति खाती (जांगीड़ ब्रहामण) निवासी ऐलाना, हाल पता ओटवाला, तहसील सायला, जिला जालोर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के प्रकरण संख्या 8/2019 (33/2018)

उपस्थिति :–
1. श्री घनश्याम सिंह, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

2. श्री निखिल शर्मा, श्री मीठालाल सुथार, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 व
3. श्री धीरेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1/5

:: निर्णय ::

दिनांक:– 20/8/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के प्रकरण संख्या 8/2019(33/2018) में निर्णय दिनांक 31.07.2020 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स ने राजीनामा का संयुक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकरान् के बीच राजीमाना हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2020 को निरस्त कर पारित नामान्तरकरण संख्या 868 दिनांक 05.06.1992 को बहाल रखा जाए। उक्त नामांतरकरण हमारे पिताजी गिरधारीलाल जी का देहांत होने पर फोतेदगी म्युटेशन भरा गया था। हमारे पिताजी गिरधारीलाल जी के हम ही तीनो बहनो तीजो देवी, मोरू देवी, चडकी देवी एवं भाई नगाराम वारीशान है। इनके अलावा अन्य कोई वारीशान नही है। प्रार्थना–पत्र यह में यह अभिकथन किया कि वक्त म्यूटेशन हमे जानकारी थी तथा इसमे हमारी पूर्ण मौखिक सहमति थी तथा हमारी मोखिक सहमति के आधार पर हमारे भाई नगाराम ने उक्त म्युटेशन इन्द्राज करवाया था। हम दोनो पक्षकारान के बीच में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी समझाईश एवं राजीखुशी से राजीनामा हो चुका है तथा हम दोनो पक्षकारान जरिये राजीनामा के उक्त पत्रावली का निस्तारण करवाना चाहते तथा उक्त पत्रावली को लेकर भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद, उजर एतराज इत्यादि नही करेगे। राजीनामा को उक्त पत्रावली का एक ही भाग मान्ना, समझा जावे। उपरोक्त पत्रावली में हम पक्षकारान् के मध्य राजीनामा होने से मोरी देवी, चडकी देवी तथा तीजो के वारीशान का उक्त भूमि मे कोई हिस्सा शेष नही है तथा हमारा हक अधिकार हिस्सा नही है तथा नगाराम जी का देहांत हो चुका है, जिनके बाद नगाराम के वारीशान का उक्त भूमि में हक हिस्सा रहेगा तथा अधिकार रहेगा जिसमे हमारी पूर्ण सहमति रहेगी।

4. हमने राजीनामा प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली में राजीनामा अपीलाण्ट्स तथा रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। अपीलाण्ट्स तथा रेस्पोडेण्ट्स की ताहिद उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्तागण द्वारा की गई है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के प्रकरण संख्या 8/2019 (33/2018) में निर्णय दिनांक 31.07.2020 से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा अपील अपीलाण्ट तीजादेवी वगैरह स्वीकार की जाकर तहसीलदार जालोर द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 868 दिनांक 5.6.1992 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जालोर को पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर सभी पक्षकारों को सुनकर नियमानुसार निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये। विचाराधीन प्रकरण को सभी पक्षकार राजीनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
याली (राज.)

31.07.2020 को निरस्त करना चाहते है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के प्रकरण संख्या 8/2019 (33/2018) में निर्णय दिनांक 31.07.2020 को निरस्त जाता है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्ट्स को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर विधि अनुरूप निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 20/8/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)